फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 13.02.2024

नगर पालिका कर्मचारी द्वारा नगर पालिका के ही कर्मचारी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी प्रपत्रो के आधार पर जारी कराने वाले अभियुक्त को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस/एस.ओ.जी/सर्विलांस टीम के द्वारा मु0अ0स0-436/23 धारा-420/467/468/471 भादवि में वांछित अभियुक्त नवनीत कनौजिया पुत्र सुनील कुमार निवासी 2/38 सुतहट्टी कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

अभियुक्तगण द्वारा पालिका कर्मचारी मृतक ज्ञान कुमार का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र उसकी मृत्यु तिथि 18.08.1991 दर्शाते हुये जारी करा लिया था जिसकी अधिशासी अधिकारी द्वारा पुनः जाँच करने पर मृतक की मृत्यु तिथि 07.03.1992 होना पायी गयी जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 436/23 धारा 420/467/468/471 भादवि अभियुक्तगण 1. शील कुमार पुत्र रघुनाथ 2. सौरभ हजेला पुत्र शील कुमार 3. सुधीर कुमार पुत्र रामप्रकाश 4. सुरेश पुत्र रामप्रकाश के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। दौराने विवेचना अभियोग उपरोक्त में नगर पालिका कर्मचारी नन्द किशोर व नवनीत की अपराध में संलिप्तता पाये जाने पर उनका नाम अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया तथा विवेचना के अनुक्रम में संकलित साक्ष्यो से यह बात पायी गयी कि पालिका कर्मचारी ज्ञान कुमार का वास्तविक नाम ज्ञानेश्वर प्रसाद था जिसकी मृत्यु तिथि 07.03.1992 रिकार्ड में दर्ज है । पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियोग उपरोक्त में पूर्व में नामित अभियुक्त सौरभ हजेला तथा प्रकाश में आये अभियुक्त नन्द किशोर को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.02.2024 को नवनीत कनौजिया उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण:

नवनीत कनोजिया पुत्र सुनील कुमार निवासी 2/38 सुतहट्टी थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ उम्र 38 वर्ष

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ करने पर अभि0 ने बताया कि शील कुमार ने जो आवेदन दिया उनके फार्म जो सूचनायें भरी गयी वह मेरे हस्तलेख में हैं । इसके उपरान्त मैं थोड़ा लालच में पड़ गया । शील कुमार ने मुझे पैसे देने की बात कहीं थी कि तुम प्रमाण पत्र बनवा दो मैं तुम्हे पैसे दे दूंगा । उनके द्वारा ही मुझे गवाहो के आधार कार्ड की छायाप्रतियां भी दी गयी थी लालच में पड़ कर कोई भी जाँच करने का प्रयास नही किया तथा उसने बिना कोई जाँच किये गवाह विद्यानन्द आर्य व राकेश सक्सेना के फर्जी शपथ पत्र तैयार कर लिये व उन पर मेरे ही द्वारा हस्ताक्षर किये गये । तथा जो आख्या मृतक ज्ञान कुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र 18.08.1991 के सम्बन्ध में लगायी गयी है वह भी मेरे हस्तलेख में है तथा उस रिपोर्ट पर जो गवाह विद्यानन्द आर्य व राकेश सक्सेना के हस्ताक्षर बने हैं, वह हस्ताक्षर मेरे द्वारा ही बनाये गये थे । यह सच है कि गवाहो से कोई शपथ पत्र नहीं लिया गया था ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नवनीत उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 436/23 धारा 420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना मऊदरवाजा

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस:

1. प्र0नि0 श्री आमोद कुमार सिंह
2. व0उ0नि0 श्री सुहेल खान
3. आ0 योगेश

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम:

1. निरी0 श्री अमित गंगवार
2. 2. मु0आ0 गजराज सिंह
3. आ0 विकास चन्द्र
4. आ0 दिव्यान्शु

गिरफ्तार करने वाली सर्विलान्स टीम:

1. उ0नि0 श्री विशेष कुमार
2. मु0आ0 संदीप राव
3. मु0आ0 करन यादव
4. मु0आ0 अजय सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि0-13.02.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त बडेलल्ला उर्फ अनूप पुत्र ज्ञानचन्द्र निवासी मोहल्ला श्यामनगर कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-282/2017 वाद सं-45/2017 धारा- 376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 13.02.2024 को मा0न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी श्री प्रदीप कुमार

एडीजीसी श्री अनुज कटियार

कोर्ट मोहर्रिर म0का0 स्वाती

पैरोकार उ0नि0 अरविन्द कुमार